Lecture 3:

Prof N K Singh
Associate Professor
Deptt of LSW
Email: nirmalsingh245@gmail.com

Essay on Collective Bargaining

Contents:

1. **सौदेबाजी सम्बन्ध को विकसित करना (Developing a Bargaining Relationship)**
2. **सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए पूर्व शर्तें (Pre-Requisites of Successful Collective Bargaining)**

Essay # 1. सौदेबाजी सम्बन्ध को विकसित करना (Developing a Bargaining Relationship):

सामूहिक सौदेबाजी एक संस्थागत प्रतिनिधिक प्रक्रिया है । इसमें समझौते के लिए मूल स्थिति से पीछे हटने में एक अभ्यास का समावेश होता है ।

इसमें निम्न चरणों का समावेश होता है:

(i) यह निर्णय लेना कि कौन-सी यूनियन को सौदेबाजी उद्देश्यों के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में माना जाये;

(ii) निर्धारित करना कि सौदेबाजी का क्या स्तर रहे; तथा

(iii) निर्धारित करना कि सामूहिक सौदेबाजी के अन्तर्गत मुद्दों का क्षेत्र क्या होना चाहिए ।

(1) सौदेबाजी वाहकों कीमान्यता (Recognition of the Bargaining Agent):

उन संगठनों में जिनमें एक एकाकी ट्रेड यूनियन है, उस यूनियन को सामान्यत: श्रमिकों का प्रतिनिधित्व के लिए मान्यता दी जाती है । लेकिन जहाँ एक से अधिक यूनियनें हैं ।

इनमें से किसी भी कसौटी को प्रतिनिधिक यूनियन की पहचान हेतु काम में लाया जा सकता है:

(a) गुप्त मतदान द्वारा प्रतिनिधिक यूनियन का चयन;

(b) किसी सरकारी संस्था द्वारा सदस्यता के सत्यापन के माध्यम से चय;

(c) सभी महत्वपूर्ण यूनियनों की संयुक्त समिति के साथ सौदेबाजी;

(d) एक विचार विनिमय समिति के साथ सौदेबाजी जिसमें विभिन्न यूनियनों का उनकी सत्यापित सदस्यता के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जायेगा; तथा

(e) एक Negotiation Committee के साथ सौदेबाजी जिसमें शामिल हैं, संगठन के प्रत्येक विभाग के चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको गुप्त मतदान द्वारा चुना जायेगा, उनकी यूनियन सम्बद्धता की अनदेखी करके ।

गुप्त मतदान प्रणाली को अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, आदि देशों में व्यापक तौर से काम में लाया जाता है । भारत में AITUC, BMS, UTUC तथा CITU ने इस विधिका समर्थन किया है, लेकिन INTUC ने इसका विरोध किया है ।

The National commission on Labour ने प्रतिनिधिक यूनियन के निर्धारण को प्रस्तावित Industrial Commission पर छोड़ने को प्राथमिकता दी, या तो गुप्त मतदान या इस उद्देश्य के लिए सत्यापन प्रक्रिया पर जोर दिया ।

एक संयुक्त समिति (Joint Committee) बनाने के लिए प्रयास का सबसे बडी यूनियन या मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा विरोध किया जा सकता है, जो संस्थान या उद्योग के सभी कर्मचारियों की ओर से बोलने के अधिकार का दावा कर सकती है ।

इस Bargaining Committee को यूनियनों की आनुपातिक शक्ति के साथ केवल तभी प्रयास करने चाहिए जब सबसे बड़ी यूनियन अभी भी एक अल्पमत यूनियन हो, तथा उसके अन्य मजबूत प्रतिद्वन्ही मौजूद हों ।

यदि गुप्त मतदान या एक स्वतंत्र अधिसत्ता द्वारा सत्यापन किया जाता है, जो स्पष्ट करता है कि कोई यूनियन विशेष को समर्थ कर्मचारियों को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त है, तो उसको ही 'Sole Bargaining Agent' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए तथा अन्य यूनियनों को अपने सदस्यों की शिकायतों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया जा सकता है ।

(2) सामूहिक सौदेबाजी का स्तर (Level of Collective Bargaining):

सामूहिक सौदेबाजी व्यावहारिक तौर पर सभी स्तरों पर सम्भव है, यथा उपक्रम स्तर पर, देश में सम्पूर्ण उद्योग के स्तर पर अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर, यह किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग के सार पर हो सकती है अर्थात् क्षेत्रीय उद्योग स्तर पर ।

एक व्यक्तिगत संस्थान, उपक्रम-स्तर की सौदेबाजी के नजरिये से यह सामान्यत: उपयोगी होती है, इसलिए कि निपटान प्रक्रिया संस्था की परिस्थितियों के आधार पर की गई है । उदाहरणार्थ उसकी भुगतान करने की क्षमता उसकी बाजार परिस्थितियाँ तथा उद्देश्य, आदि ।

एक उद्योग की बड़ी मात्रा में यूनिटों को शामिल करना आधुनिक प्रवृत्ति है, ताकि समझौते (Settlements) सम्पूर्ण उद्योग के प्रति लागू हों या एक क्षेत्र विशेष में उद्योग के प्रति लागू हों ।

(3) सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र (Scope and Coverage Bargaining):

यद्यपि अनेक संगठनों में सौदेबाजी केवल विशिष्ट मुद्दों पर ही की जाती है, जैसे मजदूरी वृद्धि, बोनस, या वरिष्ठता, पदोन्नति आदि तथापि इसको प्रबन्ध तथा ट्रेड यूनियनों दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है । इसमें जहाँ तक सम्भव हो सके दोनों पक्षों के हित के अनेक मुद्दों को शामिल कर लिया जाना चाहिए ।

Essay # 2. सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए पूर्व शर्तें (Pre-Requisites of Successful Collective Bargaining):

सामूहिक सौदेबाजी को प्रगतिशील तथा अधिक सार्थक बनाने के लिए निम्न चरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

(1) सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के रुझानों में बदलाव आना चाहिए कि सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था में मुकदमेबाजी का समावेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न्यायीकरण में होता है । यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो संकेत देती है कि दोनों पक्षकार एक शान्तिपूर्ण तरीके से अपने-अपने दावों में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है ।

उन्हें अपनी-अपनी शक्ति तथा संसाधनों पर ही भरोसा है, तथा उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी तृतीय पक्षकार की ओर नहीं देखना ।

(2) सामूहिक सौदेबाजी को सर्वोत्तम तरीके से सयन्त्र स्तर पर किया जाता है । दोनों ही पक्षकारों के Bargaining Agent को अपनी अपनी समस्याओं के एक सहमत समाधान तक पहुँचने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए ।

सेवायोजकों का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध द्वारा तथा श्रमिकों का ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाना चाहिए तो यदि संयंत्र में एक से अधिक यूनियनें हैं, दोनों को यह पता होना चाहिए कि कौनसी मान्यता प्राप्त यूनियन है । Bargaining Agent की उचित तरीके से पहचान की जानी चाहिए ।

(3) सेवायोजकों तथा कर्मचारियों को एक ठहराव पर पहुँचने के लिए माँगों पर या मतभेद के मुद्दी पर समझौते को समझना चाहिए । ट्रेड यूनियन को अनुचित माँगे नहीं रखनी चाहिए ।

किसी भी पक्षकार की ओर से वार्ता के लिए किसी भी मनाही को एक अनुचित व्यवहार माना जाना चाहिए । सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली में हठधर्मिता वाला रुख कोई स्थान नहीं रखता ।

(4) समझौता वार्ता केवल तभी सफल हो सकती है, जब पक्षकार अपने विचारों के समर्थन में तथ्यों तथा आकड़ों पर भरोसा करें । ट्रेड यूनियन को अर्थशास्त्रियों, उत्पादकता विशेषज्ञों तथा पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा सहायता मिलनी चाहिए ताकि उनकी समस्या प्रबन्ध के प्रतिनिधियों के सामने भली प्रकार रखी जा सके ।

ऐसा करने के लिए एक ट्रेड यूनियन के संगठनात्मक ढाँचे को बदला जाना होगा तथा उसको आन्दोलनकारी या मुकदमा-उन्मुखी प्रणाली को पेश करने के स्थान पर Bargaining Table पर एक रचनात्मक व्यवस्था को अपनाना चाहिए ।

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामूहिक सौदेबाजी सही तौर पर काम करे दोनों पक्षों की ओर से अनुचित श्रम व्यवहारों का निराकरण किया जाना चाहिए । उनके बीच समझौता वार्ता फिर एक ख्याति के वातावरण में होगी जो गलत व्यवहारों द्वारा विषाक्त नहीं हो पायेगी तथा कोई पक्ष अनुचित व्यवहारों का सहारा लेकर लाभ नहीं उठा पायेगा ।

(6) जब समझौता वार्ता किसी ठहराव को जन्म दे तो अनुबन्ध की शर्तों को लिखित में रखा जाना चाहिए तथा एक प्रपत्र बनाया जाना चाहिए । जब कोई ठहराव नहीं होता तो पक्षकारों को समझौते, मध्यस्थता तथा पंच निर्णय पर सहमत होना चाहिए ।

यदि फिर भी कोई निपटारा नहीं होता तो श्रमिकों को हड़ताल पर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा सेवायोजकों को तालाबन्दी घोषित करने का अधिकार होना चाहिए । इस अधिकार को प्रतिबाधित करने से तो सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया का महत्व ही समाप्त हो जायेगा ।

(7) एक बार जब एक ठहराव हो जाता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए तथा पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए । ऐसे विषयों पर किसी हड़ताल या तालेबन्दी की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये जो अनुबन्ध में पहले ही आ चुका है, तथा ट्रेड यूनियन को कभी नई माँगें नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए ।

(8) पंच निर्णय हेतु एक व्यवस्था ठहराव में शामिल कर लेनी चाहिए जो तब कार्य रूप में आये जब कोई मतभेद ठहराव की व्याख्या के सम्बन्ध में उत्पन्न हो जाये । ठहराव से उत्पन्न होने वाले विवादों को एक सहमत तृतीय पक्षकार को सौंप देना चाहिए ताकि किसी अन्तिम तथा बाध्यकारी निर्णय तक पहुँचा जा सके ।

यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी भारत में आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी हो सके,

The Indian Institute of Personnel Management ने अग्र पूर्व शर्तों को दोहराया है:

(1) एक सही अर्थों में प्रतिनिधिक प्रबुद्ध तथा दृढ़ ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आये तथा पूरी तरह से वैधानिक आधारों पर काम करे ।

(2) प्रबन्ध पूरी तरह प्रगतिशील तथा दृढ़ हो जो अपने व्यवसाय के मालिकों कर्मचारियों उपभोक्ताओं तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहो ।

(3) संगठन के तथा श्रमिकों के मौलिक लक्ष्यों पर श्रम तथा प्रबन्ध के बीच एकमत होना चाहिए तथा उनके अधिकारों तथा दायित्वों की पारस्परिक मान्यता होनी जरूरी है ।

(4) जब कम्पनी में कई यूनिटें हों तो स्थानीय प्रबन्ध की पर्याप्त अधिसत्ता भारपिण होना चाहिए ।

(5) एक तथ्य-खोजी उपागमन तथा नये-नये उपकरणों को काम लेने की इच्छा जैसे Industrial Engineering औद्योगिक समस्याओं के समाधान हेतु अपनाई जानी चाहिए ।

यदि सामूहिक सौदेबाजी को प्रभावी तथा अर्थपूर्ण होना है, तो ये परिस्थितियाँ अनिवार्यतः विद्यमान होनी चाहिए । यदि इनमें से कोई विद्यमान नहीं होती तो वैधानिक तरीकों से या किसी अन्य उपयुक्त तरीकों का प्रयोग करके बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए ।

----------****The End****----------